उपमहाप्रन्धक (प्रचालन क्षेत्र)
कार्यालय महाप्रबन्धक व्यावसयिक क्षेत्र
सी टी ओ कम्पाउण्ड शहजादी मण्डी
आगरा (उ प्र)-282001
दूरभाष स 0562-2226988, फ़ैक्स स 0562-2225100

भारत सन्चार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

मानक शर्ते

विषय : जनपद आगरा तहसील बाह में आगरा -बाह- कचौराघाट मार्ग (SH-62) के कि० मी० 44.700 चैनेज से 91.700 तक के मध्य मार्ग की दायीं पटरी पर ग्राम अरनोटा से ग्राम कचौराघाट तक भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायतों को भारत सरकार की भारतनेट परियोजना के अंतरगर्तए संयोजन हेतु ऑप्टिकल फाइबर डालने हेतु प्रभावित हे० 1.395 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

(वन अनुभाग , उ० प्र० शासन के पत्रांक 7314/14-3-1980/82 dt 31.12.85 द्वारा मानक शर्ते)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति रक्षित /आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रशनगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा , अन्य प्रयोजन हेतु कदाचित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुरक्षित कर लिया जाए कि मांगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तांतरी विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे और ऐसा किए जाने पर संबंधित वन अधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग द्वारा अपने व्यय से संबंधित वन अधिकारी की देखरेख में कराएगा तथा इस संबंध में बनाए गए मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तांतरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तांतरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन संपदा से आच्छादित एवं वन जंतुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तांतरण यथासंभव प्रस्तावित ना किया जाए। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना संभव होगा परंतु प्रतिबंध यह होगा की वन संपदा की क्षतिपूर्ण एवं वन्य जंतुओं के स्वच्छंद विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जाएगी।
9. याचक विभाग द्वारा वन विभाग के कर्मचारियों को निशुल्क जन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वत: बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को वापस हो जाएगी।वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को ना रहने पर भी हस्तांतरित भूमि आदि स्वत: (Automatic) बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जाएगा।
11. ऑप्टिकल फाइबर केबल के बिछाने में प्रस्तावों पर "एलाइनमेंट" तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श "उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग" द्वारा प्राप्त किया जाएगा

ARVIND KUMAR
Divisional Engineer (Trans/NOFN)

(30)

उपमहाप्रन्धक (प्रचालन क्षेत्र)
कार्यालय महाप्रबन्धक व्यावसयिक क्षेत्र
सी टी ओ कम्पाउण्ड शहजादी मण्डी
आगरा (उ प्र)-282001
दूरभाष स 0562-2226988, फ़ैक्स स 0562-2225100

भारत सन्चार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

इस संबंध में प्रमुख प्रमुख अभियंता, "उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग" के अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को संबोधित पत्र संख्या 608/ सी दिनांक 10.2.82 में निहित आदेशों का पालन भी "उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग" द्वारा किया जाएगा कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के बिछाने में मामूली फेरबदल कर करना होगा, बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त ना होगा और ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने ही आवश्यक है।

12. वन भूमि का मूल्य संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य संबंधी प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जाएगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा संभव ना हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
14. हस्तांतरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिशोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाए, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिध्द है इसी प्रकार बाज के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों का पातन का निरीक्षण वन संरक्षण स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि में प्रस्तावित ऑप्टिकल फाइबर केबल के बिछाने में यथासंभव पेड़ों का कटान नहीं किया जाएगा या ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने में उसे सुनिश्चित किया जाएगा। यदि फिर भी पेड़ों का भी कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जाएगी।जिस पर संबंधित वनरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि ऑप्टिकल फाइबर केबल में के बिछाने में भू-रक्षण की संभावना होती है और ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं कराएगा।
17. उपरिलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती हैं तो वह याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन विभाग का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाए, जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाए अथवा उसका उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाए।

मैं भारत संचार निगम लिमिटेड आगरा का प्रतिनिधि यह प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त सभी शर्तें मानने हैं तथा उनका अनुपालन किया जाएगा।

प्रतिहस्ताक्षरित
A Kum
प्रभागीय निदेशक

Ayadav
ARVIND KUMAR
Divisional Engineer (Trans. OFN)
Bharat Sanchar ...